WEEKLY FOCUS
#57 WEEK 4, DEC 2021

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
www.visionias.in

भारत में उच्चतर शिक्षा

हमारे भविष्य की बुनियाद

परिचय

"शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं, बल्कि मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना है" —विलियम एस. बरोज

एक विशाल और जीवंत अर्थव्यवस्था विकसित करने, उसे बनाए रखने और समाज के उत्थान व राष्ट्र को बेहतर बनाने के प्रयासों को प्रेरित करने में ज्ञान का सृजन तथा अनुसंधान, दोनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। भारत जैसे–जैसे एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और प्रबुद्ध समाज बनने की ओर बढ़ रहा है, वैसे–वैसे भारतीय युवा भी आवश्यक बौद्धिक–तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसलिए, भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिये ताकि भारत को वैश्विक ज्ञान/बौद्धिक क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके।

इस संदर्भ में अग्रलिखित प्रश्नों को समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है: उच्चतर शिक्षा किसे कहते है और इसका क्या महत्त्व है? भारतीय संदर्भ में उच्चतर शिक्षा कैसे विकसित हुई है? भारत में उच्चतर शिक्षा परिवेश को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? भारतीय उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 में किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है? NEP,2020 के लक्ष्यों और विज़न को प्राप्त करने हेतु रोडमैप क्या होना चाहिये? इस डॉक्यूमेंट में हम उक्त प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे।

भारत में उच्चतर शिक्षा क्या आशय है और इसका क्या महत्त्व है?

उच्चतर शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा या तृतीय स्तर की या तृतीयक शिक्षा भी कहा जाता है। यह औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक तथा अंतिम चरण है, जिसे माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण होने के बाद प्राप्त किया जाता है। भारत में, उच्चतर शिक्षा को आमतौर पर एक ऐसी शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा या उसके समकक्ष को पूर्ण करने के बाद प्राप्त की जाती है।

इस प्रकार की शिक्षा की प्रकृति सामान्य, पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी हो सकती है। उच्चतर शैक्षणिक कोर्स पूरा होने पर आमतौर पर छात्र को एक नामित डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार

ऐसे संस्थानों को निम्नलिखित 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- **विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयी स्तर के संस्थान:** ऐसे संस्थान जिन्हें संसद या राज्य विधान–मंडल के किसी अधिनियम के तहत डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया हो।
- **महाविद्यालय (कॉलेज)/संस्थान:** इन्हें अपने नाम पर डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए इन्हें विश्वविद्यालयों से संबद्धता/मान्यता प्राप्त करना पड़ती है।
- **स्टैंड–अलोन संस्थान:** ये संस्थान विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम/कोर्स का संचालन करते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग संस्थान आदि शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा का महत्त्व

व्यक्तिगत स्तर पर

मनोवैज्ञानिक विकास और बौद्धिक विकास के परिणामस्वरूप **व्यक्तित्व का विकास** होता है।

नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके **मूल्यवान संबंधों** का सृजन होता है।

प्रतिकूल परिस्थिति के चक्र को तोड़ते हुए **समाज में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।**

उच्च आय, स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुँच आदि के साथ **जीवन स्तर बेहतर होता है।**

उच्च कौशल स्तर और बेहतर प्लेटफॉर्म तक पहुँच से **बेहतर रोजगार की संभावनाएँ।**

ज्ञान के व्यापक आधार के साथ–साथ समृद्ध अनुभव प्रदान करके **विश्व के लिए विद्यार्थियों को तैयार** किया जाता है।

सामाजिक स्तर पर

नागरिक भागीदारी के उच्च स्तर द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिकीकरण और समाजों के समग्र रूपांतरण को प्रोत्साहन।

स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में **सामाजिक कल्याण के लिए नवाचार** को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय स्तर पर

स्वतंत्र अभिव्यक्ति और भयमुक्त माहौल के माध्यम से छात्रों में **लोकतांत्रिक संस्कृति** को प्रोत्साहन मिलता है।	पेशेवर और तकनीकी कौशल में वृद्धि कर **राष्ट्र की तकनीकी उन्नति** को बढ़ावा मिलता है।	अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से **ज्ञान का सृजन और प्रसार** होता है।	पेशेवर और व्यक्तिगत स्तर पर पुरुषों तथा महिलाओं को प्रशिक्षित करके **नेतृत्व का निर्माण** किया जा सकता है।

भारतीय संदर्भ में उच्चतर शिक्षा कैसे विकसित हुई है?

भारत के संदर्भ उच्चतर शिक्षा कोई हालिया घटनाक्रम नहीं है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है जिसके आधार पर शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली विकसित हुई है।

आइये, एक संवाद के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं!

भारत में उच्चतर शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें

विनय: *अरे विनी! तुम्हारा कॉलेज ट्रिप कैसा रहा?*

विनी: *अरे विनय! ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। हम बिहार में यूनेस्को के एक विश्व धरोहर स्थल, नालंदा विश्वविद्यालय को देखने गए थे।*

विनय: *वाह! मैंने सुना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि प्राचीन भारत में कॉलेज कैसे हुआ करते थे।*

विनी: *वैसे विनय, उस समय के कॉलेजों और आज के कॉलेजों में बहुत समानताएँ हैं।*

विनय: *वाकई?*

विनी: *हाँ! नालंदा विश्वविद्यालय में ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला जैसे विषयों के साथ-साथ एक जीवंत तथा बहु-विषयक शिक्षा प्रदान की जाती थी।*

विनय: *यही कारण है कि इसने दुनिया भर के विद्यार्थियों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया।*

विनी: *हाँ! आज के छात्रावास के समान ही उस समय भी छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी। साथ ही, एक बहुत कठिन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता था जिसमें केवल 20% छात्र ही सफल हो पाते थे।*

विनय: *क्या उस समय ऐसे और भी संस्थान थे जो काफी प्रसिद्ध थे?*

विनी: *मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, विनय। हम शर्मा सर से पूछ सकते हैं!*

विनय: *सही कहा तुमने!*

उसी दिन, बाद में

शर्मा सर: *हेलो स्टूडेंट्स! आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ?*

विनय: *हेलो सर ! विनी ने मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफी जानकारी देने के साथ ही यह भी बताया कि वह कैसे आज के शिक्षा संस्थानों के समान था। क्या आप हमें प्राचीन भारत में ऐसे अन्य संस्थानों के बारे में और बता सकते हैं?*

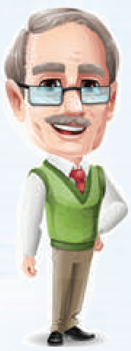

शर्मा सर: *ज़रूर! क्या आप जानते हैं कि तिब्बती तीर्थयात्रियों की रचनाओं के अनुसार, बिहार में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था जहाँ सबसे पहले डिग्री और मान्यता प्रदान करने की संस्कृति शुरू हुई थी?*

विनी: *यह काफी आकर्षक जानकारी है, सर!*

शर्मा सर: *गुजरात के प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय के छात्रों को भी स्नातक करने के बाद आधुनिक कैंपस प्लेसमेंट की तरह उच्च सरकारी पदों पर रखा जाता था।*

विनय: *यह काफी दिलचस्प बात है, सर।*

शर्मा सर: *हाँ! और तक्षशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से अपने शिक्षकों के लिए जाना जाता था, जिन्होंने व्यापक शोध कार्य किये। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र (आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ) को अपने अध्यापन कार्यकाल के दौरान यहीं लिखा था। इसी तरह, महर्षि चरक ने अपने चिकित्सा ग्रंथ 'चरक संहिता' और पाणिनी ने अपनी व्याकरण पुस्तक 'अष्टाध्यायी' की रचना की थी।*

विनी और विनय: *धन्यवाद सर! हमने आज बहुत कुछ सीखा।*

शर्मा जी: *स्वागत है! इस विषय के प्रति आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है।*

प्राचीन भारत के दौर में विकसित होते हुए उच्चतर शिक्षा की सामाजिक–ऐतिहासिक यात्रा ने **मध्यकाल के दौरान मक्तब–मदरसा प्रणाली** या शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली के रूप में **एक नए आयाम** को अपनाया।

उच्चतर शिक्षा की प्रणाली को औपनिवेशिक काल के दौरान **एक स्पष्ट संरचनात्मक स्वरुप/आकार प्राप्त** हुआ। ऐसा **बॉम्बे (मुंबई), कलकत्ता (कोलकाता) और मद्रास (चेन्नई) में पहले तीन सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना** के साथ संभव हुआ। बाद में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भी **जामिया मिलिया इस्लामिया, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे कई राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों** की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संघर्ष के समय भारत को विरासत में मिली उच्चतर शिक्षा की प्रणाली न केवल दृष्टिकोण में छोटी और सीमित थी, बल्कि यह क्षेत्रीय असंतुलनों जैसी समस्याओं से ग्रस्त थी। हालाँकि, इन समस्याओं का समाधान करने तथा **शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु सिफारिशों के लिए कई आयोगों का गठन किया गया था:**

समितियाँ/नीतियाँ	सिफारिशें/परिणाम
सरकार समिति (1945)	• इस समिति ने मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भारत के चार क्षेत्रों में **उच्चतर तकनीकी संस्थानों** को स्थापित करने की सिफारिश की थी। • इन सिफारिशों के आधार पर खड़गपुर (1950), बॉम्बे (1958), कानपुर (1959), मद्रास (1960) और दिल्ली (1961) में **पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs)** को स्थापित किया गया।
राधाकृष्णन आयोग (1948)	• इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, उच्चतर शिक्षा में मानकों के विकास और प्रबंधन में समन्वय के लिए **वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना** की गई। वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा UGC को एक कानूनी संगठन का दर्जा प्रदान किया गया।
कोठारी आयोग, (1966)	• इस आयोग ने **राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव** दिया था। • इसने **वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) के निर्माण** को गति प्रदान की।
उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)	• इसके तहत उच्चतर शिक्षा के लिए पाँच मुख्य लक्ष्य, यथा–**व्यापक पहुँच, समान पहुँच, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य–आधारित** निर्धारित किये गए। • इसके द्वारा की गई सिफारिशों में – उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) का विस्तार करना, स्वायत्त कॉलेजों का विकास करना, पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निकायों के मध्य समन्वय बढ़ाना, संस्थानों के बीच गतिशीलता को बढ़ावा देना आदि शामिल था। • इसके अतिरिक्त इसने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसी (National Accreditation Agency) की स्थापना की भी सिफारिश की थी। UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council: NAAC) की स्थापना, वर्ष 1994 में की गई थी।
टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिति, 2016 और के. कस्तूरीरंगन समिति, 2019	• **नई शिक्षा नीति, 2020** इन समितियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के मसौदे पर आधारित है।

उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियाँ

	2015-16	2019-20	वृद्धि
HEIs की संख्या – विश्वविद्यालय	799	1043	1.30% की वृद्धि
HEIs की संख्या – महाविद्यालय	39,000	42,000	8.4% की वृद्धि
सकल नामांकन अनुपात	24.5	27.1	
लैंगिक समता अनुपात	0.92	1.01	

भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए कई योजनाएँ/पहलें आरंभ की गई हैं:

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु	इसके लिए **सूचना प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (The National Mission on Education through Information and Communication Technology: NMEICT)** की शुरुआत की गई। इसे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ITC) की क्षमता का लाभ उठाने के लिए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य किसी भी समय कहीं भी ITC प्रणाली के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों को लाभ प्रदान करना था। इस योजना के तहत आरंभ की गई प्रमुख ITC पहलों में शामिल हैं: • **स्वयं (SWAYAM)**: यह भारत का अपना "मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़" (MOOCs) प्लेटफॉर्म है। यह लगभग सभी विषयों पर निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। • **स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA)**: यह 24X7 आधार पर डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले 32 शैक्षिक चैनल प्रदान करता है। • **भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (National Digital Library of India: NDL)**: यह शिक्षार्थियों को ई–सामग्री/संसाधनों के लिए एक ही माध्यम से पहुँच प्रदान करता है। • **ई–यंत्र (e-Yantra)**: इसे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया था।
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु	• **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)**, 2013 का उद्देश्य राज्य के संस्थानों को उनके शासन और प्रदर्शन के आधार पर वित्तपोषण प्रदान करना है। • **उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA), 2018**: यह शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक द्वारा संचालित एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य बाजार से प्राप्त धन, अनुदान और CSR फंड का उपयोग करते हुए शीर्ष संस्थानों के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए वित्तपोषण करना है। • **उत्कृष्ट संस्थान (Institution of Eminence: IoE)**: सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों से 10–10 संस्थानों को IoE के रूप में घोषित किया जाना है। इन्हें अगले 5 वर्षों के दौरान 1,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे।
अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु	• HEFA द्वारा वित्त पोषित **"शिक्षा में बुनियादी ढाँचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार"(Revitalising Infrastructure and Systems in Education: RISE) योजना**: इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान तथा संबंधित बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्रोत्साहित करना है। • **प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF) योजना** को तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरंभ किया गया था। • **इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया (IMPRINT India)**: यह मौलिक वैज्ञानिक–तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT और IISc द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है। • **सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान (Impactful Policy Research in Social Science: IMPRESS)**: इसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण के मार्गदर्शन हेतु अनुसंधान के लिए आरंभ किया गया था।

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार हेतु	• **परामर्श (PARAMARSH)**: यह राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से मान्यता-प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श देने के लिए आरंभ की गई योजना है। • भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF), 2015 की शुरुआत की गई थी।** इसका उद्देश्य संस्थानों के मध्य प्रतिस्पर्धा और साथ ही एक-दूसरे के विकास की दिशा में संयुक्त प्रयास को प्रोत्साहित करना है।
महिलाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएँ आरंभ की गई हैं: ▪ **किरण (KIRAN),** ▪ **महिला वैज्ञानिक योजना (WOS),** ▪ **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI),** ▪ **महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (CURIE)** आदि।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/भागीदारी हेतु	• **ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अर्थात् ज्ञान (GIAN) और विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च अर्थात् वज्र (VAJRA)** जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों को आकर्षित किया जा रहा है। • **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना (SPARC)** का उद्देश्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक तथा अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। • **भारत में अध्ययन कार्यक्रम** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत को एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु	• **कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की छात्रवृत्ति योजना (CSSS), जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना और केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS)** जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

भारत में उच्चतर शिक्षा पारितंत्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

संस्थागत और संरचनात्मक मुद्दे

- **निम्न छात्र नामांकन दर**: वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग 27.1 प्रतिशत (वैश्विक औसत 36.7 प्रतिशत) था। इसका मुख्य कारण उच्चतर शिक्षा में नामांकन हेतु शैक्षिक रूप से योग्य छात्रों की कमी है।
  - तुलनात्मक रूप से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का GER लगभग 88.2 प्रतिशत और चीन का GER लगभग 49.1 प्रतिशत है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएँ**: भारत में मान्यता प्राप्त HEIs के अलावा, अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि लैब (प्रयोगशाला), अनुसंधान उपकरण, कंप्यूटर, पुस्तकालय, छात्रावास, परिवहन, खेल सुविधा आदि का अभाव है।
- **खराब मानव संसाधन प्रबंधन**:
  - **शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात**: ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से कुशल तथा योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण HEIs में लगभग 30-40 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप अध्ययन प्रक्रिया अकुशल बनी हुई है।
  - **योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहाँ बनाए रखने में HEIs की अक्षमता**: इसके लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:
    - **योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और शिक्षक तथा संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र।**

- **अस्थायी शिक्षक (Ad-hocism):** कॉलेज के अनुमानित 40% शिक्षक अस्थायी व तदर्थ आधार पर कार्य करते हैं।
- नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **नियुक्ति के उपरांत प्रशिक्षण के लिए सीमित अवसर की स्थिति।**
- शैक्षिक प्रणाली में व्याप्त अव्यवस्था तथा आधारभूत गुणवत्ता के लिए बुनियादी मानकों का पालन न होने के कारण शिक्षक शिक्षा संस्थानों (Teacher Education Institutions: TEIs) की गुणवत्ता निम्नस्तरीय बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिए, अधिकांश स्टैंड-अलोन TEIs शिक्षक शिक्षा के प्रति गंभीरतापूर्वक प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इनकी संख्या 10,000 से अधिक है।
- **महिला नेतृत्व का अभाव:** भारत में कुलपतियों के पद पर लगभग 7 प्रतिशत से भी कम महिलाओं को नियुक्त किया गया है।

- **निम्न गुणवत्ता वाले अनुसंधान पारितंत्र:**
  - **प्रतिस्पर्धी पियर रिव्यू आधारित शोध का अभाव:** भारत में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में पिछले कुछ दशकों से लगातार वृद्धि हुई है। हालाँकि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में इन शोधों का उद्धरण प्रभाव (citation impact) निम्न होता है। उद्धरण प्रभाव/प्रशस्ति पत्र प्रभाव एक ऐसी माप है जो यह बताती है कि किसी अकादमिक पत्रिका/ लेख/ पुस्तक/ लेखक को अन्य लेखों, पुस्तकों या लेखकों द्वारा कितनी बार उद्धृत किया गया है।
  - **वर्तमान में, भारत में अनुसंधान और नवाचार पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.69 प्रतिशत निवेश किया जाता है।** दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लगभग 2.8 प्रतिशत, इज़राइल में 4.3 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 4.2 प्रतिशत है।

- **प्रतिभा का पलायन:** अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2019-2020 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से भारत में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या केवल 49,348 है, जबकि वर्ष 2020 में भारत से विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए पलायन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक है।

- **शिक्षा का व्यवसायीकरण:** नवीनतम AISHE 2019-20 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2015-16 के 276 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 407 हो गई है। निजी स्वामित्व और प्रबंधन वाले शैक्षणिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है, जहाँ निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस स्थिति ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया है:
  - **छात्रों द्वारा शिक्षा को केवल आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाने लगा है।** इस स्थिति ने प्रबंधन, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि जैसे उच्च आय प्रदान करने वाले तथा बाजार से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों को अधिक आकर्षित किया है।
  - **अधिकतम लाभ** कमाने की मंशा से उच्चतर शिक्षा की लागत में वृद्धि होती है, जिससे उच्चतर शिक्षा तक आम लोगों की पहुँच में कमी आई है।

उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण बनाम निजीकरण

- यह आवश्यक नहीं है कि प्रायः व्यवसायीकरण से जुड़े होने के कारण निजीकरण स्वयं नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करे। यह **संसाधनों के अभाव वाले भारत जैसे देश के लिए लाभकारी** भी साबित हो सकता है। भारत में निजी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (HEIs) निम्नलिखित **सकारात्मक भूमिकाएँ** निभा सकते हैं:
  - सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए एक **प्रतिस्पर्धी पारितंत्र** तैयार करने में।
  - जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के चलते उच्चतर शिक्षा की **बढ़ती मांग को पूरा** करने में।
  - सरकार पर **वित्तीय बोझ को कम** करने में।
  - **HEIs के विकेन्द्रीकृत विस्तार** को सक्षम बनाने में।
  - **वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम** को एक नया स्वरूप प्रदान करने में।
  - छात्रों को **अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने** के लिए संसाधन जुटाने में।
  - अनुसंधान के व्यापक क्षेत्रों में नए प्रयोग और नवाचार हेतु **छात्रों तथा शिक्षकों, दोनों को अधिक लचीलापन प्रदान** करने में।
- इस प्रकार, कुशल और लचीले/उदार विनियामक ढाँचों के साथ **निजीकरण, भारत में उच्चतर शिक्षा को रूपांतरित करने में सरकार के प्रयासों को प्रभावी ढंग से तीव्र करने तथा बेहतर बनाने में मदद** कर सकता है। इन विनियामक ढाँचों का अग्रलिखित उद्देश्य होना चाहिये- निजी HEIs के गुणवत्तापूर्ण विकास को बढ़ावा देना, उच्चतर शिक्षा तक छात्रों की पहुँच बढ़ाना और अत्यधिक शुल्क वृद्धि, भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि जैसी शोषणकारी एवं अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना।

  - **शिक्षा को मौलिक और सार्वभौमिक अधिकार के बजाय उपभोग योग्य वस्तु** के रूप में देखा जा रहा है।
  - **नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा में गिरावट** आई है।
  - **शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता मानकों में भी कमी** आई है।

समावेशन और समानता से संबंधित मुद्दे

- **सामाजिक असमानता:** महिलाओं, निम्न आय वर्ग के छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूह के लोगों का उच्चतर शिक्षा में प्रतिनिधित्व कम है। साथ ही, इन समूहों की उच्चतर शिक्षा तक पहुँच के संबंध में आर्थिक, सामाजिक, स्थानीय और क्षेत्रीय असमानता की स्थिति भी देखी जा सकती है।
  - उदाहरण के लिए, 27.1 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का GER क्रमशः 23.4 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है।
- निम्नलिखित कारकों की वजह से **STEM क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अल्प रही है:**
  - STEM क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता को लेकर नकारात्मक रूढ़िवादिता,
  - वेतन के संबंध में लैंगिक भेदभाव,
  - रोल मॉडल की कमी,
  - सामाजिक मानदंडों को लेकर दबाव और पारिवारिक जीवन से संबंधित बाध्यताएँ, विवाह, बच्चे के जन्म आदि से संबंधित तनाव,
  - कॉलेज के दौरान सुरक्षा संबंधी मुद्दे,
  - कार्यस्थलों पर यौन तथा अन्य प्रकार के उत्पीड़न, इत्यादि।

शासन और विनियामक मुद्दे

- **विनियामक प्रणाली की अत्यधिक केंद्रीकृत, मशीनी और कठोर नौकरशाही संरचनाओं के परिणामस्वरूप** कुछ निकायों में शक्ति का अत्यधिक संकेंद्रण बना हुआ है। इससे निकायों के मध्य हितों का टकराव, संस्थानों का सूक्ष्म प्रबंधन और लचीलेपन एवं जवाबदेही का अभाव जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिला है।
  - इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसे विनियामक संस्थानों की उपस्थिति और इनके दायित्वों के मध्य अस्पष्ट निर्धारण की स्थितिसे जटिलता बढ़ती है।

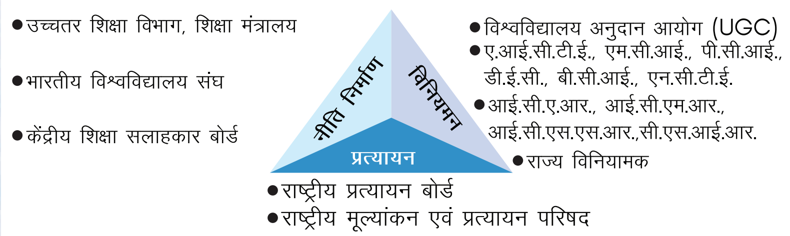

भारत में उच्चतर शिक्षा का विनियामकीय ढाँचा

- **व्यावसायिक प्रबंधन का अभाव:** कुलपतियों, निदेशकों, रजिस्ट्रारों और अन्य सचिव स्तरीय कर्मचारियों जैसे शैक्षणिक प्रशासकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था है और कुछ मामलों में इसका पूर्णतः अभाव बना हुआ है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव: HEIs** और संबंधित हितधारकों द्वारा दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों और विनियमों को लागू करने में अपर्याप्त प्रयास किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुलपति/डीन/रजिस्ट्रार/एफ.ओ. के चयन में विश्वविद्यालयों द्वारा मनमानी और अपारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाती है।
- **उच्चतर शिक्षा में अपर्याप्त निवेश:** भारत में शिक्षा पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.43% है। सरकार द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय का लगभग 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है।
  - इसके अलावा, हाल के दशकों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त HEIs के लिए वित्तपोषण का प्रवाह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पक्ष में अधिक रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के बजट का लगभग 65% हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग में लाया जाता है।
- मान्यता प्रदान करने (प्रत्यायन) की प्रक्रिया में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **मौजूदा प्रत्यायन निकायों में भी पर्याप्त क्षमता का अभाव है।**

- **प्रभावी रेटिंग प्रणालियों का अभाव:** भारत में उच्चतर शिक्षा की संपूर्ण स्थिति नहीं दर्शाने और सीमित मापदंडों पर आधारित होने के कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रैंकिंग प्रदान करने वाले "राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)" की आलोचना की जाती है।

गुणात्मक और शैक्षणिक मुद्दे

- **पाठ्यक्रम और कोर्स की असंतुलित, कठोर और पुरानी संरचना:** इन्हें निम्नलिखित के रूप में देखा जा सकता है:
  - **विषयों का कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञता** तथा अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्र की ओर धकेल देता है।
  - संज्ञानात्मक कौशल और सीखने के परिणामों के विकास को कम महत्त्व देते हुए **शैक्षणिक प्रथाएँ अभी भी मुख्य रूप से रटने तथा व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।**
  - मानकीकृत परीक्षण और पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी गति से सीखने और विकसित होने की संभावना को कम कर देते हैं।
  - बदलती तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ **पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जाता है।**
  - सामाजिक उद्देश्यों, परस्पर सहयोग, शारीरिक श्रम, कौशल हेतु प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण की बजाय **केवल जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है।**
  - **खेल, कला और पाठ्येतर विकास पर कम ध्यान देना।**
  - व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान: 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) के आँकड़ो के अनुसार, भारत में 19–24 आयु वर्ग के लगभग 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक/पेशेवर शिक्षा प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले कार्यबल का प्रतिशत क्रमशः 52% और 75% है।

- **HEIs और उद्योगों के मध्य अल्प सहयोग के कारण रोजगार का निम्न स्तर:** भारत कौशल रिपोर्ट–2021 के अनुसार, सभी विषयों में स्नातकों की रोजगार प्राप्त करने की संभवना लगभग 45% रही है।
- **वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की कमी:** नवीनतम क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग–2022 के तहत शीर्ष 200 में, भारत के केवल तीन विश्वविद्यालयों को ही स्थान मिला है।
- **कोविड–19 संकट के दौरान डिजिटल बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे:** अपर्याप्त रचनात्मक आकलन, डिग्री और दक्षताओं के बीच असमानता के कारण परीक्षा तथा योग्यता प्रणालियों के समक्ष वैधता का संकट उत्पन्न हो गया है।
- **छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाली अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा।**

भारतीय उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति, 2020 में किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है?

उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्य

- **वर्ष 2040 तक** सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को बहु–विषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना।
- **वर्ष 2030 तक** प्रत्येक जिले में या जिले के निकट कम–से–कम एक बड़े बहु–विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना करना।
- व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर **वर्ष 2035 तक 50% करना।**
- **वर्ष 2035 तक** सभी HEIs को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना।
- **वर्ष 2025 तक स्कूल** और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम–से–कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।

इस नीति के तहत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल बदलाव करने और इसमें नए जोश का संचार करने की परिकल्पना की गई है। **इसके साथ ही, वर्तमान प्रणाली में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित प्रस्ताव भी किये गए हैं:**

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन	• सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तीन प्रकार के संस्थानों में समेकित किया जाएगा: ➤ **अनुसंधान विश्वविद्यालय:** इसमें अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा। ➤ **शिक्षण विश्वविद्यालय:** इसमें अनुसंधान पर महत्त्वपूर्ण ध्यान देने के साथ–साथ शिक्षण पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाएगा। ➤ **डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त कॉलेज:** इसमें पूर्ण रूप से शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। • अगले 15 वर्षों में कालेजों/महाविद्यालयों की संबद्धता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही, महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। • HEIs के जटिल नामकरण जैसे 'समवत विश्वविद्यालय (DeemedtobeUniversity)', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय' आदि की बजाय केवल 'विश्वविद्यालय' नाम का प्रयोग किया जाएगा।
समग्र और बहुविषयक शिक्षा	• स्नातक शिक्षा में **लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन तथा व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।** साथ ही, **उपयुक्त प्रमाणन के साथ एक से अधिक बार प्रवेश और निकास के अवसर उपलब्ध** कराए जाएंगे। • **एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)** की स्थापना की जाएगी जो मान्यता प्राप्त HEIs से अर्जित **अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित** करेगा। इसका उद्देश्य अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए डिग्री प्रदान करना है। • आई.आई.टी., आई.आई.एम. के समान वैश्विक मानकों की सर्वोत्तम बहु–विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities: MERUs) स्थापित किये जाएंगे। • एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन** (NRF) का गठन किया जाएगा।
विनियमन	• संपूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए **एकल व्यापक छत्रक निकाय** के रूप में **भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)** का गठन किया जाएगा। इसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा शामिल नहीं हैं। • **HECI के चार स्वतंत्र स्तम्भ होंगे:** ➤ विनियमन के लिए (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (NHERC),** ➤ मानकों की स्थापना के लिए **सामान्य शिक्षा परिषद (GEC),** ➤ वित्त पोषण के लिए **उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC),** ➤ मान्यता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC),** • **सार्वजनिक और निजी, दोनों उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को समान मानदंडों** (विनियमन, मान्यता प्रदान करने और शैक्षणिक मानकों के संदर्भ में) द्वारा शासित किया जाएगा। • भारत में सभी HEIs को एक अधिकार प्राप्त **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG)** वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) का अंतर्राष्ट्रीयकरण	• **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम,** सामाजिक भागीदारी के लिए सार्थक अवसर, गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएँ और शैक्षणिक परिसर में आवश्यक सहयोग आदि प्रदान किया जाएगा। • विदेशी छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए प्रत्येक HEI में एक **अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित** किया जाएगा। • **उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपना कैम्पस/परिसर स्थापित करने** के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार, विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। • भारत में **ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने हेतु एक विधायी ढाँचा** तैयार किया जाएगा। साथ ही, ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान ही विनियमन, शासन और विषय–वस्तु संबंधी मानदंडों के संबंध में विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। • भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच **अनुसंधान/ शिक्षण सहयोग के साथ–साथ छात्र/ शिक्षक एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा।** • **विदेशी विश्वविद्यालयों से अर्जित क्रेडिट** को अनुमति प्रदान की जाएगी। साथ ही, यदि अर्जित क्रेडिट HEI की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो डिग्री प्रदान करने के लिए भी इन्हें स्वीकार किया जाएगा।

समता और समावेशन	**सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम** ● सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (Socio–Economically Disadvantaged Groups: SEDGs) की शिक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी धन उपलब्ध कराना और उनके लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना। ● आकांक्षी जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों और SEDGs के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करते हुए पहुँच को बढ़ाया जाएगा। **सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम** ● उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित लागत और इस दौरान हुई **अवसरों की हानि को कम** करना। ● SEDGs को अधिक **वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान** करना। ● लैंगिक–पहचान के मुद्दे पर **शिक्षकों, परामर्शदाताओं और छात्रों को संवेदनशील** बनाना। ● **भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी सभी नियमों को सख्ती** से लागू करना।
व्यावसायिक शिक्षा को नया रूप प्रदान करना	● ऐसे प्रयासों के प्रबंधन हेतु **व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति** (National Committee for the Integration of Vocational Education: NCIVE) को गठित किया जाएगा। ● **'लोक विद्या'** अर्थात् भारत में विकसित महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकृत कर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। ● भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विकसित किये गए **'व्यवसायों का अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण'** (ISCO) के अनुरूप स्थापित किया जाएगा।
सीखने के लिए सर्वोतम माहौल और छात्रों को सहयोग	● **संस्थानों और संकाय को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि संबंधी मामलों में नवाचार हेतु स्वायत्तता** प्रदान की जाएगी। ● **उच्च स्तरीय परीक्षाओं (High–stakesExaminations)** से हटकर अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु प्रयास किये जाएंगे। ● **मानदंड–आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने हेतु** प्रयास किये जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने (अधिगम) के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन किया जाएगा।
अन्य	● **छात्र गतिविधि और भागीदारी:** खेल, संस्कृति/कला क्लब, पर्यावरण क्लब, एक्टिविटी क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि में भाग लेने हेतु भरपूर अवसर प्रदान किये जाएंगे। प्रत्येक HEI में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं और परामर्श प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। ● **प्रेरित, सक्रिय और सक्षम शिक्षक:** HEI में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रियाओं तथा मानदंडों को अपनाया जाएगा। ● **शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना:** सभी शैक्षणिक संस्थानों को 'अलाभकारी' निकाय के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण की समान मानक व्यवस्था द्वारा प्रशासित किया जाएगा। निजी HEI द्वारा निर्धारित सभी प्रशुल्क और शुल्क पारदर्शी और स्पष्ट होंगे। छात्र के नामांकन के दौरान फीस/शुल्क में कोई मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी। ● **भारतीय भाषाओं का प्रचार:** सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए, NEP के तहत एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) तथा 'पाली, फारसी और प्राकृत भाषा' के लिए राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थानों) की स्थापना की जाएगी। साथ ही, HEIs के अंतर्गत संस्कृत एवं सभी भाषा विभागों को मजबूत किया जाएगा। HEIs के शिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा के और अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

आइये, एक संवाद के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं!

अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और अनुभव से छात्रों को क्या हासिल होगा?

विनय: अरे विनी! तुम जापान से वापस आ गई। तुम वहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी ना?

विनी: हाँ विनय! वहाँ मेरे कॉलेज और होक्काइडो विश्वविद्यालय का एक सयुंक्त कार्यक्रम था।

विनय: अच्छा, तो तुम्हारा अनुभव कैसा रहा?

विनी: पहले तो मुझे एक नई संस्कृति, भोजन व भाषा के साथ खुद को ढालने में बहुत कठिनाई हुई। हालाँकि, इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अनुभवों ने मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और कौशल में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किये हैं।

विनय: वाक़ई! तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?

विनी: एक तरह से, इसने मेरे नृजातीय-केंद्रित वैश्विक नजरिये को दूर करने और अपने अंदर सांस्कृतिक सापेक्षवाद (Cultural Relativism) को विकसित करने में मदद की है।

विनय: इसका क्या मतलब है?

विनी: मैं जापान में जिस परिवार के घर में ठहरी थी, वहाँ मुझे उनकी संस्कृति और पारंपरिक प्रथाओं का बारीकी से अनुभव करने का अवसर मिला। साथ ही, मैंने उनके स्वादिष्ट व्यंजनों/भोजन का भी खूब आनंद लिया और मैंने अलग-अलग नजरिया रखने वाले नए-नए लोगों के साथ भी बातचीत की... इसने मुझे मेरे संस्कृति के मानकों के आधार पर किसी अन्य संस्कृति का मूल्यांकन करने की बजाय, उस संस्कृति को उसके अनुसार समझने की क्षमता दी।

विनय: अच्छा, मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने तुम्हें सांस्कृतिक परानुभूति विकसित करने और अलग-अलग संस्कृतियों को देखने के नजरिये को समझने में मदद की है। तुमने वहाँ और क्या सीखा?

विनी: इस यात्रा ने मुझे अपने कम्फर्ट क्षेत्र से बाहर निकाला है। इसने मुझे और अधिक आत्मविश्वासी, अनुकूलनीय, आत्म-जागरूक तथा खुले विचारों वाली बना दिया है। इस दौरान मैंने कई नए संपर्क भी बनाए।

विनय: यह सुनकर बहुत अच्छा लगा! ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम में हिस्सेदारी करनी चाहिये !

नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 के लक्ष्यों और विज़न को प्राप्त करने हेतु रोडमैप क्या होना चाहिये?

- **समावेशन और समता:**
  - HEIs तक दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की पहुँच में सुधार करने के लिए **शहरी क्षेत्रों में ऐसे छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिये।**
  - HEIs के प्रशासकों द्वारा कैम्पस में कम प्रतिनिधित्व वाले छात्र समूहों की पहचान की जा सकती है और कैम्पस में ऐसे समूहों के **छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्कूलों के साथ समन्वय करना चाहिये।**
  - कैम्पस में सामाजिक समावेशन को संस्थागत बनाने के लिए **विविधता संबंधी नीति विकसित की** जानी चाहिये।
  - STEM विषयों को स्कूल स्तर पर ही अपनाये जाने हेतु शिक्षकों को इसके बारे में संवेदनशील बनाकर संबंधित महिला रोल मॉडल तथा मेंटर्स के सहयोग से **STEM में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**

भारत एक "विश्व गुरु" (वैश्विक अध्ययन गंतव्य) के रूप में: भारत के पास कौन-सी अनूठी ताकत है?

भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की वर्तमान संख्या काफी कम है। इसलिए, NEP-2020 में 'देश में ही शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में कॉलेज जाने वाले छात्रों को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट गुणवत्ताओं की पहचान और उनका निर्माण भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में अच्छा प्लेसमेंट प्रदान करने वाली तथा वहनीय तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा के अलावा, निम्नलिखित विशेषताएँ भारत को एक अद्वितीय ब्रांड बनाने में मदद कर सकती हैं:

- योग, आयुर्वेद या बौद्ध धर्म जैसे विषयों पर **आकर्षक और विशिष्ट पाठ्यक्रम।**
- बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शिक्षण केंद्रों में **प्रगतिशील उद्यमी तथा प्रौद्योगिकी पारितंत्र।**
- **संचार सुगमता,** क्योंकि अधिकांश उच्चतर शिक्षा **अंग्रेजी भाषा** में ही प्रदान की जाती है।
- समृद्ध संस्कृति और मनोरम परिदृश्य। इसके तहत स्थानीय त्यौहारों, परंपराओं आदि का अनुभव करने और अतुलनीय विविधता से परिपूर्ण भारत में यात्रा करने का अवसर शामिल है।

- **रोजगार क्षमता में वृद्धि:**
  - संस्थागत स्तर पर ही छात्रों को सहायता सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, जो छात्रों को **बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने** के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें।
  - **उद्योगों को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये ताकि वे पाठ्यक्रम के विकास, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, करियर संबंधी परामर्श और प्लेसमेंट के लिए **शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर सकें।**
- **बहु–विषयक विश्वविद्यालयों और HEI समूहों को स्थापित करना:** प्रत्यायन रिपोर्ट और NIRF रैंकिंग के आधार पर निकट भविष्य में बहु–विषयक संस्थान (Multidisciplinary Institution) बनने की क्षमता वाले संस्थानों की पहचान कर ऐसी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से आरंभ किया जा सकता है।
- **शासन संबंधी प्रणालियों में सुधार करना:**
  - **प्रत्यायनकर्त्ताओं से मान्यता प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं और पद्धतियों को कारगर बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन** किया जाना चाहिये।
  - NAC द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बदलती प्रकृति और आवश्यकताओं का आकलन प्रत्येक 3 वर्षों में किया जाना चाहिये। साथ ही, प्रत्यायन संस्थानों/एजेंसियों और HEIs के लिए अतिरिक्त फोकस क्षेत्रों/पहलुओं के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिये।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती की दक्ष प्रणाली:**
  - शिक्षक प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **वेब आधारित शिक्षक प्रबंधन सूचना प्रणाली** (TMIS) विकसित की जा सकती है।
  - **मानव संसाधन प्रबंधन विभागों को** शैक्षणिक और प्रशासनिक, दोनों तरह के मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए सेवा विभाग के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
  - **भर्ती–प्रणाली** में बेहतर कौशल की तलाश, **शैक्षणिक योजना,** शिक्षकों को संस्थान में रोके रखने संबंधी रणनीति, कर्मचारियों का विकास एवं उनका प्रशिक्षण, व्यक्तिगत और पेशेवर परामर्श जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिये।
  - **टीचिंग लर्निंग सेंटर (TLC)** के माध्यम से शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करते रहना चाहिये।
- **समग्र लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:**
  - योग और ध्यान लगाने में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ** किया जाना चाहिये।
  - **गतिशील पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना होना चाहिये न कि केवल परीक्षा पास करना। साथ ही, शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, 3D–प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, ब्लॉकचेन और अन्य आधुनिक तकनीकी समाधानों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाना चाहिये।
  - **एक सहभागी दृष्टिकोण** अपनाया जा सकता है, जो छात्रों को उनकी अभिरुचि, आवश्यकता और इच्छा के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने का अवसर प्रदान करता हो।
  - **प्रभावी वैश्विक शिक्षणशास्त्र और आकलन प्रथाओं को बढ़ावा देना** तथा प्रौद्योगिकी आधारित सीखने के पारितंत्र को विकसित करना चाहिये, जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।
  - विश्वविद्यालय स्तर पर **व्यावसायिक शिक्षा को औपचारिक रूप प्रदान किया जाना चाहिये** (इन्फोग्राफिक देखें)।

व्यवसायीकरण और कौशल विकास हेतु परिचालन रणनीतियाँ

  - **छात्र केंद्रित लर्निंग प्रबंधन** को अपनाया जा सकता है, जो विविध सामाजिक और भाषाई पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को मान्यता प्रदान करता हो।
- **अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:**
  - इसके लिए 'समस्या' और 'समाधान' संबंधी क्षेत्रों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करने हेतु **विश्वविद्यालयों में नवाचार केंद्रों की स्थापना करनी चाहिये।** इसके तहत उद्योग, सरकार और समाज से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और उन्हें अनुसंधान और/या परामर्श के लिए संकाय तथा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना आदि शामिल है।
  - शिक्षकों को उनके करियर में त्वरित तरक्की तथा **उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और पेटेंट के लिए आर्थिक प्रोत्साहन** प्रदान करना चाहिये।
  - उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायता प्रदान करने के लिए **स्नातक स्तर पर अनुसंधान को प्रारंभ किया** जा सकता है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण (IHE दिशा–निर्देश) का कार्यान्वयन:** ये निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु रणनीतिक सुधार के लिए भारतीय HEIs को प्रोत्साहित करते हैं–
  - विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए **विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग** विकसित करना।
  - **भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम, संकाय और बुनियादी ढाँचे में वैश्विक मानकों का पालन** करना।
  - **वैश्विक नागरिक दृष्टिकोण** को अपनाना। वैश्विक नागरिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस विशाल दुनिया के बारे में जानता तथा समझता है और इसे समतामूलक, निष्पक्ष तथा संधारणीय बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास करता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए** 'छात्र भूतपूर्व–छात्र संबंध प्रकोष्ठ' (Student Alumni Relationship Cell: SARC) के माध्यम से **भूतपूर्व छात्रों के साथ जुड़ना** और ब्रांड के रूप में स्थापित होने के लिए विभिन्न साधनों को अपनाना।

  - **तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Massive Open Online Courses)** जैसे कार्यक्रमों के नए रूपों को आरंभ करना।

व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC): उच्चतर शिक्षा का भविष्य?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हालिया निर्णयों में छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर में स्वयं (SWAYAM) प्लेटफॉर्म पर संचालित पाठ्यक्रमों से अपने अनिवार्य क्रेडिट का कम–से–कम 40% अर्जित करने की अनुमति प्रदान की गई है। SWAYAM सरकार द्वारा समर्थित एक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) प्लेटफॉर्म है।

- MOOC क्या है? यह विश्वविद्यालय या अन्य पेशेवरों द्वारा इंटरनेट के वैश्विक उपयोगकर्त्ताओं को प्रदान किया जाने वाला एक निःशुल्क अध्ययन कार्यक्रम है, जैसे कि edX, Coursera, Upgrad, Udemy आदि।
- इनके द्वारा क्या प्रदान किया जाता है? ये अध्ययन के पारंपरिक तरीकों के अतिरिक्त कई तरह के अन्य लाभ प्रदान करते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच और वहनीयता के कारण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए लचीली पाठ्यक्रम संरचना, तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगतिशील प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हैं।
- **इनसे संबंधित खामियाँ?** इनकी कुछ सीमाएँ भी हैं जैसे मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को स्थापित करने में व्याप्त कठिनाइयाँ, प्रश्नों को हल करने के लिए शिक्षक द्वारा सहायता का अभाव, प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं तक पहुँच का अभाव तथा तकनीकी शिक्षा में आवश्यक अन्य संसाधनों का अभाव आदि।
  - इसके अलावा, भारत जैसे विकासशील देश को तकनीकी संबंधी बुनियादी ढाँचे की कमी, निवेश का अभाव, विविधतापूर्ण और बहुभाषी आबादी, ऐसी प्रणाली के प्रति कम स्वीकृति और शिक्षार्थियों में कम जागरूकता आदि जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- **इससे जुडी संभावनाएँ क्या हैं?** हालाँकि MOOC, निकट भविष्य में शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। लेकिन यह पेशेवर विकास को बढ़ावा देने, समकक्ष के साथ सीखने (Peer Learning) और सहयोग करने को बढ़ावा देने तथा अनौपचारिक एवं सीखने की आजीवन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है।

आइये, एक संवाद के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं!

कॉलेजों में बहु–विषयक शिक्षा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

विनय: *अरे विनी! क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने जीवन में कौन–सा करियर चुनना चाहती हो?*

विनी: *हाँ, मैंने सोच लिया है! लेकिन मैं अपनी पसंद के दो विषयों को लेकर बेहद भ्रमित हूँ।*

विनय: *अच्छा, मुझे बताओ।*

विनी: *एक तरफ, मैं एक जलवायु वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ ताकि मैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक शोध में अपना योगदान दे सकूँ। दूसरी ओर, मुझे कानून में करियर बनाने में बहुत दिलचस्पी है ताकि मैं सामाजिक न्याय प्रदान करने में सहायता कर सकूँ।*

विनय: *तो, तुम दोनों विषय क्यों नहीं पढ़ सकती?*

विनी: *यह कैसे संभव है?*

विनय: *ऐसे कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो बहु–विषयक शिक्षा प्रदान करते हैं। वहाँ तुम अपनी रुचि के आधार पर विभिन्न विषयों को चुन सकती हो।*

विनी: *लेकिन, क्या बिल्कुल अलग–अलग विषयों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना मेरे अकादमिक प्रदर्शन और मेरे करियर को प्रभावित नहीं करेगा?*

विनय: *नहीं! इसकी बजाय, विज्ञान के साथ मानविकी को एकीकृत करने वाले शैक्षिक दृष्टिकोणों ने हमेशा सकारात्मक लर्निंग परिणाम प्रदान किये हैं। जैसे कि बेहतर नवाचार, तार्किक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमताएँ, जो सीखने के दायरे और उनकी गहनता में वृद्धि करती हैं।*

विनी: *ओह! वाकई ऐसा है क्या? इसका मतलब यह मुख्य रूप से मेरे सीखने के अनुभव को और अधिक आकर्षक तथा मनोरंजक बना देगा।*

विनय: *हाँ! तुम जलवायु कानून के क्षेत्र में अपने लिए एक विशिष्ट करियर बना सकती हो या जलवायु परिवर्तन के सामाजिक प्रभावों पर शोध कर सकती हो।*

विनी: *यह तो बहुत अच्छा है! लेकिन तुम जानते हो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी?*

विनय: *क्या?*

विनी: *मुझे अब दोनों विषयों में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। मैं एक साथ दोनों में अपना करियर बना सकती हूँ!*

निष्कर्ष

वर्तमान में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इनमें 'राष्ट्रीय शिक्षा' से 'वैश्विक शिक्षा'; 'कुछ के लिए एकमुश्त शिक्षा' से 'सभी के लिए आजीवन शिक्षा'; 'शिक्षक–केंद्रित शिक्षा' से 'शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा'; जैसे परिवर्तन शामिल हैं। इन परिवर्तनों ने नई प्रकार की मांग उत्पन्न करते हुए देश में स्थापित शिक्षा प्रणालियों तथा पद्धतियों के समक्ष नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा को एक प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, सुशिक्षित और कौशल से परिपूर्ण राष्ट्र के विकास को साकार करने हेतु प्रयास करना चाहिये ताकि देश अपनी समस्याओं का उपयुक्त समाधान खोज सके और उन्हें लागू कर सके।

उच्चतर शिक्षा का महत्व

व्यक्ति के लिए	समाज के लिए	राष्ट्र के लिए
• यह व्यक्तित्व का विकास करती है। • मूल्यवान संपर्क बनाने में सक्षम बनाती है। • समाज में व्यक्ति की उन्नति को सुगम बनाती है। • जीवन स्तर को बढ़ाती है। • नौकरी की संभावनाओं में सुधार करती है। • वर्तमान विश्व के लिए छात्रों को तैयार करती है।	• उच्च स्तर का नागरिक जुड़ाव संभव होता है। • यह सामाजिक कल्याण के लिए नवाचार को बढ़ावा देती है।	• लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देती है। • तकनीकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। • ज्ञान के सृजन और प्रसार को सक्षम बनाती है। • नेतृत्वकर्ता तैयार करती है।

भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास

- **प्राचीन भारत:** तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में आधुनिक समय की सुविधाओं जैसे कि बहु–विषयक शिक्षा, छात्रावास, प्रवेश परीक्षा, डिग्री, कैंपस प्लेसमेंट, शोध कार्य आदि सुविधाओं की उपलब्धता।
- **मध्यकालीन भारत:** मकतब–मदरसा प्रणाली या शिक्षा की इस्लामिक प्रणाली।

औपनिवेशिक काल:

- उच्चतर शिक्षा की प्रणाली ने एक स्पष्ट संरचनात्मक आकार लिया।
- बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में पहले 3 सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ आदि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों का उदय।

स्वतंत्रता के बाद: उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए कई आयोग गठित किए गए:

- **सरकार समिति (1945):** पांच आई.आई.टी. की स्थापना की गई।
- **राधाकृष्णन आयोग (1948):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन किया गया।
- **कोठारी आयोग (1966):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) को गति प्रदान की।
- **उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992):** उच्चतर शिक्षा के लिए 5 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए– अधिक पहुंच, समान पहुंच, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य–आधारित शिक्षा।
- **टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिति, 2016 और के. कस्तूरीरंगन समिति, 2019:** नई शिक्षा नीति, 2020 का आधार तैयार किया।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में मौजूद चुनौतियां

संस्थागत और संरचनात्मक मुद्दे

- छात्रों का कम नामांकन।
- अपर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएं।
- शिक्षकों की कमी और उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात।
- अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रवृत्ति, योग्यता–आधारित करियर प्रबंधन और आरंभिक प्रशिक्षण की कमी के कारण सुयोग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में उच्चतर शिक्षण संस्थानों की अक्षमता।
- निम्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (TEI)।
- निम्न स्तरीय अनुसंधान तंत्र।
- ब्रेन ड्रेन और शिक्षा का व्यवसायीकरण।
- समावेशन और समानता के मुद्दे:
  - उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में आर्थिक, सामाजिक, स्थानीय और क्षेत्रीय असमानताएं।
  - STEM विषयों में महिलाओं की कम भागीदारी।

अभिशासन संबंधी/ नियामक मुद्दे

- नियामक प्रणाली का अति–केंद्रीकरण, मशीनी और कठोर नौकरशाही ढांचा।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पेशेवर प्रबंधन, जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव।
- प्रत्यायन निकायों की अपर्याप्त क्षमता।
- उच्चतर शिक्षा में कम निवेश।
- अप्रभावी रेटिंग प्रणाली

गुणवत्ता संबंधी और शैक्षणिक मुद्दे

- पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम–विषयों के मुद्दे:
  - सख्त पृथक्करण और प्रारंभ में ही विशेषज्ञता पर बल
  - शैक्षणिक प्रथाएं मुख्य रूप से रटने और व्याख्यान देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  - पाठ्यक्रम में समयानुसार नियमित बदलाव नहीं किया जाना।
  - व्यावसायिक शिक्षा, चरित्र विकास, खेल, कला और पाठ्येतर गतिविधियों पर कम ध्यान।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच कम सहयोग के कारण रोजगार के लिए आवश्यक योग्यता की कमी है।
- विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की कमी।
- कोविड के दौरान डिजिटल रूपांतरण के कारण परीक्षा और योग्यता प्रणाली की वैधता का संकट।
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाली अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा।

नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कदम

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

- सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तीन प्रकार के संस्थानों में समेकित किया जाना है: अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज।
- महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त करना और महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करना।

समग्र बहु–विषयक शिक्षा

- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट:** विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए।
- **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन:** मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए।
- **बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERUs)।**
- व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति (NCIVE)।

नियामक सुधार

भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, जिसमें चार घटक शामिल हैं–

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC)।
- सामान्य शिक्षा परिषद (GEC)
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC)
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)

उच्चतर शिक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण

- प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- विदेशी संस्थानों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने वाला विधायी ढांचा।

समानता और समावेशन

- सरकार SEDGs की शिक्षा के लिए उपयुक्त वित्तपोषण और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे और आकांक्षी जिलों और विशेष शिक्षा क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना करे।
- HEI अवसर लागत और शुल्क को कम करने, कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने, भेदभाव रहित और उत्पीड़न विरोधी नियमों को लागू करने और SEDGs को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

अन्य सुझाव

- सीखने के उपयुक्त वातावरण का विकास और छात्र भागीदारी के लिए समर्थन।
- छात्र गतिविधि को प्रोत्साहित करना और प्रेरित, सक्रिय और सक्षम शिक्षक–वर्ग का निर्माण।
- शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना।

नई शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन का रोडमैप

- **समावेशन और समानता:** शहरी क्षेत्रों में छात्रावासों की सुविधा; कम प्रतिनिधित्व वाले छात्र समूहों की पहचान और कैंपस विविधता नीति; STEM–विषयों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **रोजगार में वृद्धि:** औद्योगिक सहयोग के माध्यम से और संस्थागत स्तर पर छात्र सहायता सेवाएं प्रदान करके।
- प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती: वेब आधारित शिक्षक प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से; मानव संसाधन प्रबंधन विभागों और भर्ती पद्धतियों की स्थापना; टीचिंग लर्निंग सेंटर (TLC)।
- **समग्र लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** आधुनिक तकनीकी अवधारणाओं सहित परियोजनाओं द्वारा संचालित गतिशील पाठ्यक्रम; शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना; सहभागी दृष्टिकोण जो छात्रों को पाठ्यक्रम डिजाइन करने की अनुमति देता है; प्रभावी वैश्विक शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन प्रथाओं को बढ़ावा देना; विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को औपचारिक बनाना; छात्र केंद्रित शिक्षण प्रबंधन।
- प्रत्यायनकर्ताओं की मान्यता के लिए प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को कारगर बनाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया जाए।
- प्रत्यायन रिपोर्ट और NIRF रैंकिंग के आधार पर बहु–विषयक संस्थान बनने की क्षमता रखने वाले संस्थानों की पहचान करना।
- **अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:** विश्वविद्यालयों में नवाचार केन्द्रों की स्थापना करके; उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और पेटेंट के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और स्नातक स्तरीय अनुसंधान शुरू करना।
- उच्चतर शिक्षा दिशानिर्देशों के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कार्यान्वयन:
  - विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ने की व्यवस्था करना।
  - वैश्विक मानकों के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षकों और बुनियादी ढांचे को संरेखित करना।
  - वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण को अपनाना।
  - ब्रांड निर्माण साधन अपनाना और पूर्व छात्रों के साथ जुड़ना।
  - तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना।